**भारत सरकार**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 27**

**दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**शुद्ध पेयजल की कमी**

**27- Jh n'kZu flag ;kno%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj dks jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ¼,uvkjMhMCY;wih½ ds varxZr vkus okys ns'k ds vf/kdka'k xkaoksa esa 'kq) is;ty dh deh dh tkudkjh gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS(

¼x½ D;k ljdkj foxr rhu o"kks± ds nkSjku okLrfod vkSj foÙkh; y{;ksa ds jkT;&okj urhtksa ds laca/k esa jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe dh leh{kk djus dk fopkj j[krh gS( vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\

**उत्तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) और (ख): मंत्रालय बसावटों के लिए पेयजल आपूर्ति वाली ग्रामीण आबादी के कवरेज के बारे में डाटा का रखरखाव करता है। पीने के पानी की कमी वाली एक ग्रामीण बसावट को इस प्रकार की बसावट के रूप में परिभाषि‍त किया जा सकता है जिसमें संपूर्ण आबादी को प्रति दिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर की सीमा तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसी बसावटों को आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें कहा जाता है। इसी प्रकार से ऐसी बसावटें जहाँ पानी, रासायनिक संदूषकों अथवा जीवाणुजनित संदूषकों के माध्यम से संदूषित है वे गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में वर्गीकृत हैं। मंत्रालय के पास ऑन लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) है जिसमें राज्यों ने पर्याप्त और पीने योग्य पेयजल आपूर्ति की कवरेज के संदर्भ में ग्रामीण बसावटों की स्थिति को पूर्णतः कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में दर्शाते हुए सूचना दी है। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक-I पर दी गई है।

(ग) से (घ): मंत्रालय ने 2011 से 2022 तक की अवधि के लिए एक कार्यनीति योजना तैयार की है, जिसमें दो पंचवर्षीय योजना अवधियों को शामिल किया गया है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों तक पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा का विस्तार करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक अंतरिम लक्ष्य, सभी ग्रामीण परिवारों में से 50% परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर करना और 35% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक नल के कनैक्शनों से कवर करना है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा और 80% परिवारों तक घरेलू नल के कनैक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इसे प्राप्त करने हेतु मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके तहत निम्नांकित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित रहेगाः-

* स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की कवरेज।
* प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम 40 लीटर जल उपलब्ध कराने हेतु आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की कवरेज।
* बारहमासी सतही जल स्रोतों से पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना।
* पंचायतों को सिक्योरिटी/कनैक्शन शुल्क की अदायगी कर ग्रामीण आबादी को अपने परिवारों तक नल के कनैक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करना।

मंत्रालय, ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों/ मुख्य अभियंताओं की बैठकों/ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो- कॉनफ्रेसिंग आदि का समय-समय पर आयोजन करता है जिसके माध्यम से एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि अनुलग्नक-II और III पर दी गई हैं।

मंत्रालय द्वारा इस समय कार्यक्रम की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक-I** **दिनांक 01/04/14के अनुसार पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थि‍ति**  |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 27 के भाग (ख)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक** |
| **क्र.सं.**  | **राज्य**  | **कुल**  | **पूर्ण रूप से कवर**  | **आंशि‍क रूप से कवर**  | **गुणवत्ता प्रभावित**  |
| **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 47397 | 29231 | 16612 | 1554 |
| 2 | बिहार | 107640 | 50203 | 50838 | 6599 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 73616 | 61483 | 8038 | 4095 |
| 4 | गोवा | 347 | 345 | 2 | 0 |
| 5 | गुजरात | 34548 | 32726 | 1567 | 255 |
| 6 | हरियाणा | 7251 | 6796 | 440 | 15 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 53604 | 39274 | 14330 | 0 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 15798 | 8049 | 7739 | 10 |
| 9 | झारखण्ड | 119667 | 116003 | 3637 | 27 |
| 10 | कर्नाटक | 59753 | 24480 | 32900 | 2373 |
| 11 | केरल | 11883 | 3338 | 7717 | 828 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 127559 | 125145 | 677 | 1737 |
| 13 | महाराष्ट्र | 100488 | 87339 | 12200 | 949 |
| 14 | ओडिशा  | 157296 | 101810 | 48766 | 6720 |
| 15 | पंजाब | 15370 | 12563 | 2788 | 19 |
| 16 | राजस्थान | 121133 | 69085 | 28092 | 23956 |
| 17 | तमिलनाडु | 100018 | 85946 | 13657 | 415 |
| 18 | तेलंगाना | 25139 | 13212 | 10308 | 1619 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 260110 | 259539 | 73 | 498 |
| 20 | उत्तराखण्ड | 39142 | 24195 | 14913 | 34 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 98120 | 45419 | 41087 | 11614 |
| 22 | अरूणाचल प्रदेश | 7412 | 2386 | 4939 | 87 |
| 23 | असम | 87888 | 41990 | 35214 | 10684 |
| 24 | मणिपुर | 2870 | 2089 | 781 | 0 |
| 25 | मेघालय | 9326 | 1918 | 7356 | 52 |
| 26 | मिजोरम | 777 | 339 | 438 | 0 |
| 27 | नागालैंड | 1530 | 503 | 989 | 38 |
| 28 | सिक्किम | 2084 | 662 | 1422 | 0 |
| 29 | त्रिपुरा | 8132 | 3215 | 598 | 4319 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार  | 400 | 323 | 77 | 0 |
| 31 | चंडीगढ | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 33 | दमन एवं दीव | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 34 | दिल्ली  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप  | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 248 | 89 | 150 | 9 |
| **कुल**  | **1696664** | **1249695** | **368463** | **78506** Bottom of Form |

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक-II** |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 27 के भाग (क) और (ख)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक** |
| **पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्लूपी के तहत (बसावटों की संख्या) वास्तविक लक्ष्य और उपलब्ध‍ियों का विवरण**  |
| **क्र.सं.**  | **राज्य/संघराज्य क्षेत्र**  | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** |
| **लक्ष्य** | **कवरेज**  | **लक्ष्य** | **कवरेज**  | **लक्ष्य** | **कवरेज**  |
| 1  | आंध्र प्रदेश | 5700 | 6183 | 5477 | 5699 | 5772 | 6378 |
| 2  | बिहार | 16600 | 11243 | 15015 | 10960 | 14100 | 12787 |
| 3  | छत्तीसगढ़ | 11454 | 7977 | 12641 | 9111 | 10700 | 11832 |
| 4  | गोवा | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | गुजरात | 1126 | 1165 | 1150 | 1856 | 2125 | 4085 |
| 6  | हरियाणा | 943 | 859 | 955 | 895 | 861 | 702 |
| 7  | हिमाचल प्रदेश | 2557 | 2558 | 2532 | 2650 | 2505 | 2587 |
| 8  | जम्मू एवं कश्मीर | 1451 | 536 | 1279 | 1153 | 963 | 901 |
| 9  | झारखण्ड | 19559 | 17425 | 16583 | 17335 | 9468 | 12546 |
| 10  | कर्नाटक | 9695 | 8757 | 10403 | 13284 | 15475 | 17522 |
| 11  | केरल | 824 | 419 | 696 | 668 | 839 | 356 |
| 12  | मध्य प्रदेश | 16744 | 15644 | 17074 | 17483 | 13120 | 13858 |
| 13  | महाराष्ट्र | 6502 | 6364 | 5940 | 4637 | 5066 | 4064 |
| 14  | ओडिशा | 8642 | 6782 | 12209 | 19484 | 11812 | 18447 |
| 15  | पंजाब | 1630 | 643 | 1473 | 617 | 1545 | 1227 |
| 16  | राजस्थान | 14262 | 7885 | 9137 | 3943 | 4835 | 4244 |
| 17  | तमिलनाडु | 6000 | 6000 | 7000 | 7203 | 6000 | 5742 |
| 18  | उत्तर प्रदेश | 23300 | 23134 | 24000 | 23727 | 24612 | 22666 |
| 19  | उत्तराखण्ड | 1359 | 1102 | 1085 | 983 | 1083 | 988 |
| 20  | पश्चिम बंगाल | 6096 | 4619 | 4152 | 4236 | 3221 | 3347 |
| 21  | अरूणाचल प्रदेश | 308 | 415 | 292 | 358 | 304 | 369 |
| 22  | असम | 7304 | 6601 | 7230 | 7110 | 7174 | 6552 |
| 23  | मणिपुर | 330 | 234 | 250 | 197 | 249 | 260 |
| 24  | मेघालय | 781 | 510 | 628 | 510 | 755 | 549 |
| 25  | मिजोरम | 128 | 122 | 57 | 5 | 46 | 57 |
| 26  | नागालैंड | 109 | 116 | 175 | 178 | 85 | 155 |
| 27  | सिक्किम | 200 | 50 | 280 | 101 | 200 | 87 |
| 28  | त्रिपुरा | 982 | 1024 | 1052 | 1323 | 1115 | 1120 |
| 29  | अंडमान एवं निकोबार  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30  | चंडीगढ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31  | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32  | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33  | दिल्ली  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34  | लक्षद्वीप  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35  | पुदुचेरी | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल**  | **164586** | **138367**  | **158795** | **155706**  | **144030** | **153428** |

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक-III** |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 27 के भाग (घ)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक** |
| **पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वित्तीय आबंटन और रिलीज का ब्यौरा**  |
| **क्र.सं.**  | **राज्य/संघराज्य क्षेत्र**  | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** |
|  |  | **आबंटन**  | **रिलीज**  | **आबंटन**  | **रिलीज**  | **आबंटन**  | **रिलीज**  |
| **1** | आंध्र प्रदेश | 546.32  | 462.47  | 563.39 | 485.14 | 635.44 | 631.52 |
| **2** | बिहार | 374.98  | 330.02  | 484.24 | 224.3 | 432.38 | 338.95 |
| **3** | छत्तीसगढ़ | 143.57  | 139.06  | 168.89 | 148.64 | 136.13 | 135.2 |
| **4** | गोवा | 5.20  | 5.01  | 6.07 | 0.03 | 5.5 | 0 |
| **5** | गुजरात | 478.89  | 571.05  | 578.29 | 717.47 | 533.73 | 515.07 |
| **6** | हरियाणा | 210.51  | 237.74  | 250.24 | 313.41 | 229.46 | 229.52 |
| **7** | हिमाचल प्रदेश | 131.47  | 146.03  | 153.59 | 129.9 | 138.51 | 130.81 |
| **8** | जम्मू एवं कश्मीर | 436.21  | 420.42  | 510.76 | 474.5 | 462.43 | 414.82 |
| **9** | झारखण्ड | 162.52  | 148.17  | 191.86 | 243.43 | 172.85 | 243.29 |
| **10** | कर्नाटक | 687.11  | 667.78  | 922.67 | 869.24 | 868.75 | 897.29 |
| **11** | केरल | 144.43  | 113.39  | 193.59 | 249.04 | 155.58 | 212.04 |
| **12** | मध्य प्रदेश | 371.97  | 292.78  | 447.33 | 539.56 | 404.80 | 474.95 |
| **13** | महाराष्ट्र | 728.35  | 718.35  | 897.96 | 846.48 | 788.47 | 690.27 |
| **14** | ओडिशा  | 206.55  | 171.05  | 243.91 | 210.58 | 227.35 | 317.07 |
| **15** | पंजाब | 88.02  | 123.44  | 101.9 | 144.27 | 96.89 | 147.95 |
| **16** | राजस्थान | 1083.57  | 1153.76  | 1352.54 | 1411.36 | 1231.05 | 1332.49 |
| **17** | तमिलनाडु | 330.04  | 429.55  | 394.82 | 570.17 | 273.63 | 387.11 |
| **18** | तेलंगाना | - | - | - | - | - | - |
| **19** | उत्तर प्रदेश | 843.30  | 802.32  | 1060.87 | 980.06 | 923.19 | 794.93 |
| **20** | उत्तराखण्ड | 136.54  | 75.57  | 159.74 | 74.28 | 145.58 | 87.61 |
| **21** | पश्चिम बंगाल | 343.60  | 342.51  | 523.53 | 502.36 | 490.63 | 485.83 |
| **22** | अरूणाचल प्रदेश | 120.56  | 184.83  | 145.32 | 223.22 | 201.23 | 237.32 |
| **23** | असम | 435.58  | 522.44  | 525.71 | 659.21 | 470.00 | 514.98 |
| **24** | मणिपुर | 53.39  | 47.60  | 69.99 | 66.21 | 58.76 | 55.3 |
| **25** | मेघालय | 61.67  | 95.89  | 73.96 | 97.61 | 92.18 | 103.4 |
| **26** | मिजोरम | 39.67  | 38.83  | 48.35 | 47.92 | 38.42 | 44.89 |
| **27** | नागालैंड | 81.68  | 80.91  | 110.25 | 110.2 | 56.66 | 61.07 |
| **28** | सिक्किम | 28.10  | 69.19  | 36.69 | 32.36 | 16.88 | 26.56 |
| **29** | त्रिपुरा | 56.20  | 83.86  | 70.66 | 100.59 | 59.29 | 89.93 |
| **30** | अंडमान एवं निकोबार  | 0.00  | 0.00  | 1.15 | 0.78 | 1.04 | 0.09 |
| **31** | चंडीगढ | 0.00  | 0.00  | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **32** | दादर और नगर हवेली | 0.00  | 0.00  | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **33** | दमन एवं दीव | 0.00  | 0.00  | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **34** | दिल्ली  | 0.00  | 0.00  | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **35** | लक्षद्वीप  | 0.00  | 0.00  | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **36** | पुदुचेरी | 0.00  | 0.00  | 1.75 | 0.88 | 1.59 | 0.06 |
|  | **कुल**  | **8330.00**  | **8474.02**  | **10290.02** | **10473.2** | **9348.40** | **9600.32** |